

Government of India
Ministry of Commerce & Industry,
Office of the Development Commissioner,
SEEPZ -Special Economic Zone,

Andheri (E), Mumbai - 400 096.

Tel.: 28294730/28294799, Fax: 28291754

E-Mail: jdseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in


F. No. SEEPZ-SEZ/LAB/506/2016-17/03592

Dated: 20 /02/2017

CIRCULAR No. SEEPZ-SEZ/LAB/14/2016-17
Municipal Election on 21/02/2017

In continuation to this Office Circular No. LAB/13/2016-17/03340 dated 15/02/2017 on the subject cited above, it is to inform that as per Govt. of Maharashtra's Circular dated 02/02/2017 the paid holiday on the election day i.e. on 21/02/2017 is only for the employees/staff who are working in Shops, Establishments, Hotels, Restaurant, Eating Houses, Theatre, Commercial Establishment, Industrial undertaking, IT Companies, Shopping Centers, Malls and Retailers etc. Whereas, for Factories which are related to technology, Export business related factories, which are continuous process related etc. should grant two hours concession for exercising their right to vote to their staff/workers.

This clarification may please be circulated among the Staff/Workers and related persons.


(V.P. Shukla)

Jt. Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

Copy to:

1. All the SEEPZ-SEZ Units in Mumbai/Thane.
2. The President, SEEPZ Gems & Jewellery Manufactures Associations.
3. Chairman, SEEMA, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
4. The Regional Director, EPCES for 100% EOUs and SEZs.
5. The Development Commissioner, Navi Mumbai SEZ.
- ✓ 6. IT Section for uploading on website.

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

विकास आयुक्त का कार्यालय,

सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र,

अंधरी (पूर्व), मुंबई - 400 096

दूरभाष:- 28294730 / 28294799,

ई-मेल: jdseepz-mah@nic.in, वेबसाइट: www.seepz.gov.in

फा.सं.सीपज़-सेज/श्रम/506/2016-17/03५९३

दिनांक: 20/02/2017

परिपत्र संख्या - सीपज़-सेज/श्रम/14/2016-17

दिनांक: 21.02.2017 को नगरपालिका का चुनाव ।

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 15.02.2017 के परिपत्र संख्या श्रम / 13 / 2016-17 के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 02.02.2017 के परिपत्र के अनुसार दिनांक 21.02.2017 को चुनाव के दिन केवल उन्हीं कर्मचारी / कामगारों को सवेतन अवकाश दिया जाना है जो दुकानों, प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्तराओं, थिएटरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, आइटी कंपनियों, शॉपिंग सेंटरों, मॉलों तथा रिटेलरों आदि में कार्य करते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियों तथा निर्यात व्यवसाय से संबंधित कारखानों जिनमें निरंतर कार्य चलता रहता है, के कर्मचारियों तथा कामगारों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दो घंटे का समय दिया जाना है ।

यह परिपत्र अपने सभी कर्मचारियों / कामगारों तथा संबंधित व्यक्तियों के बीच आवश्यक सूचना के लिए परियाहित करार ।



(विजय प्रकाश शुक्ल)

संयुक्त विकास आयुक्त,

सीपज़ - सेज

प्रति:-

- 1) मुंबई / ठाणे में स्थित सभी सीपज़ - सेज यूनिट
- 2) अध्यक्ष - सीपज़ रत्न एवं आभूषण विनिर्माता संघ
- 3) अध्यक्ष - सीमा, सीपज़ - सेज, मुंबई
- 4) क्षेत्रीय निदेशक - 100% इओयू तथा सेज के लिए ईपीसीईएस
- 5) विकास आयुक्त - नवी मुंबई सेज
- 6) आइटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए